FROM : FAX NO. : 28 Oct. 2013 1:06PM P1

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

संख्या–1697/8–3–13–69विविध / 12

प्रेषक,

पी0एन0 यादव,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. समस्त उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

उपाध्यक्ष कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण कम्प्यूटर संख्या 126856 दिनांक 29/10/2013

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 24 अक्टूबर, 2013

विषयः उ0प्र0 जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के विभागों की अधिकाधिक सेवाओं को आच्छादित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग के पत्रांक 287 / 91–2013 दिनांक 29.08.2013 के साथ संलग्नक–1 पृष्ठ–5 की संलग्न प्रति का अवलोकन करना चाहें, जिसमें जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित 08 सेवाओं जिनमें आवेदन की तिथि प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील के निस्तारण की समय सीमा निम्नवत निर्धारित की गयी है:–

सेवा संख्या	प्रकरण	निस्तारण की समय सीमा		
		आवेदन की तिथि से	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1.	स्वंय सेवी संस्थाओं (NGO) द्वारा संचालित गोशालाओं का पंजीकरण पर निर्णय।	7 days	30 days	15 days
8	(i) आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णयः–			
	(अ) Group Housing	90 days	30 days	15 days
	(ब) एकल भवन	30 days	30 days	30 days
	(ii) गैर आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय	90 days	30 days	15 days
	(iii) सम्पत्तियों के नामान्तरण पर निर्णय।	60 days	30 days	15 days
	(iv) सम्पत्तियों के निबन्धन पर निर्णय।	15 days	30 days	15 days
	(v) आवन्टी की जमा धनराशि की वापसी पर निर्णय।	10 days	15 days	15 days
	(vi) भवनों के शमन पर निर्णय।	60 days	30 days	15 days
	(vii) भूखण्ड / भवन को फ्री–होल्ड किये जाने पर निर्णय (नजूल भूमि को छोड़कर)	15 days	15 days	15 days
	(viii) आदेशों की नकल प्राप्त करने पर निर्णय	7 days	7 days	7 days

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित 08 सेवाओं के निस्तारण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार अंकित तालिका में निर्धारित समय सीमा के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(पी0एन0 यादव)
अनु सचिव।

M.GO.(2)

संख्या 2885 /अ0-1-2013

उ0प्र0 जनहित गारन्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के विभागों की अधिकाधिक सेवाओं को आच्छादित करने के सम्बन्ध में दिनांक 20.08.2013 को सांय 4.00 बजे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में उपरोक्त बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में उपस्थित विभागों की सूची संलग्नक (ii) के रूप में संलग्न है।

(2) बैठक में हुए निर्णय अनुसार वाणिज्य कर विभाग/मनोरंजन कर विभाग/गृह विभाग/उच्च शिक्षा विभाग एक सप्ताह में लोक सेवा प्रबन्धन विभाग को पुनः स्पष्ट प्रस्ताव (फ्रेश प्रपोजल) भेजेंगे। इन प्राप्त प्रस्तावों पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक कर निर्णय लिया जायेगा।

(3) बैठक में प्रस्तुत एजेन्डा सूची-I, II व III में अंकित जिन प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया है, उनका विवरण संलग्नक I में अंकित है। तद्नुसार विभागों की सेवाओं को उ0प्र0 जनहित गारन्टी अधिनियम-2011 से आच्छादित करने हेतु लोक सेवा प्रबन्धन विभाग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

3600 स0 |PSM| 13 (4) बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि चूंकि जनहित गारन्टी अधिनियम-2011 जो विधायी अनुभाग-1 के संख्या-308/79-वि-1-11-1(क)4-2011, दिनांक 04 मार्च, 2011 द्वारा अधिसूचित किया गया है, प्रदेश में प्रभावी है, अतः उसके प्राविधान संलग्नक- I में दी गयी सेवाओं पर लोक सेवा प्रबन्धन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से प्रभावी होंगे।

सचिव

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।

30-08-13

29-08-13

(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव।

1170/VS(A)/13
TS(SJC)/501

3783/SH/13
V.S.(A)

02/9/13
(अभय)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन
उत्तर प्रदेश शासन

02-9-2013

शहरी नियोजन विभाग
उ0 प्र0 प्रदेश शासन

R.C (श्री अनिल)
(प्रपत्र प0 69 विविध/12 1285) के साथ ... करें।

04/9/13

आवास-3
04/9/13

05/09

संख्या –287(1)/91–2013, दिनांक अगस्त, 2013 का संलग्नक–I

(5)

क्र0 सं0	विभाग	सेवा संख्या	प्रकरण	निस्तारण की समय सीमा		
				आवेदन की तिथि से	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
13.	पशुधन विभाग	1	स्वयं सेवी संस्थाओं (NGO) द्वारा संचालित गोशालाओं का पंजीकरण पर निर्णय	7 days	30 days	15 days
14.	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	8	(i) आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय :–			
			(अ) Group Housing	90 days	30 days	15 days
			(ब) एकल भवन	30 days	30 days	30 days
			(ii) गैर आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय	90 days	30 days	15 days
			(iii) सम्पत्तियों के नामान्तरण पर निर्णय	60 days	30 days	15 days
			(iv) सम्पत्तियों के निबन्धन पर निर्णय	15 days	30 days	15 days
			(v) आवन्टी की जमा धनराशि की वापसी पर निर्णय	10 days	15 days	15 days
			(vi) भवनों के शमन पर निर्णय	60 days	30 days	15 days
			(vii) भूखण्ड/भवन को फ्रीहोल्ड किये जाने पर निर्णय (नजूल भूमि को छोड़कर)	15 days	15 days	15 days
			(viii) आदेशों की नकल प्राप्त करने पर निर्णय	7 days	7 days	7 days
15.	कृषि विभाग	4	(i) उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र जारी किये जाने पर निर्णय	30 days	30 days	15 days
			(ii) बीज विक्रय प्राधिकार पत्र जारी किये जाने पर निर्णय	30 days	30 days	15 days
			(iii) कृषि रक्षा रासायन लाइसेंस प्रपत्र जारी किये जाने पर निर्णय	30 days	30 days	15 days
			(iv) मृदा परीक्षण का परिणाम देना	45 days	30 days	15 days
16.	प्राविधिक शिक्षा	5	(i) सरकार से सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय पेंशन/ग्रेच्युटी व अन्य देयों के भुगतान पर निर्णय	60days	30days	30 days
			(ii) सरकार से सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान पर निर्णय	30days	30 days	15 days

09-08-13